

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/पूछण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फ़ाल सिड्डी केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 827 दिनांक 23/12/2020

प्राप्ति शुशी रामेश्वरी काठ जी लक्ष्मीलाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2062/6228, 6229

दिनांक 23/12/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 81 की शान्ती नगर
मसुरिया इरिजन बस्ती

23/12/2020

सहायक नगर निर्माता
नगर निगम, जोधपुर

Sanjiv
9413247650
23/12/20

60+1
आवासीय